भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2625
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024/ 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं

2625 डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा और केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार नए आपराधिक कानूनों के मद्देनजर, जो अधिसूचित किए जाने के बाद 1 जुलाई, 2024 से लागू हुए, देश में विधि विज्ञान के लिए पारितंत्र सहित जांच और अभियोजन की क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के ऑफ-कैम्पस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कुल कितना परिव्यय अनुमोदित किया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) वर्तमान में, देश मे फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के तहत देश में 7 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) हैं। ये सीएफएसएल भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़, कामरूप (असम), हैदराबाद (तेलंगाना), पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं। इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 97 क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2625

(ख) से (घ): सरकार देश में फोरेंसिक विज्ञान के लिए पारितंत्र सहित जांच और अभियोजन के लिए क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है जो गैप-विश्लेषण और मांग मूल्यांकन पर निर्भर है। "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जांच, अपराध और अपराधियों के अभियोजन और संबंधित फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं।

केंद्र सरकार द्वारा देश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भोपाल, गुवाहाटी और पुणे में तीन नई सीएफएसएल स्थापित की गई हैं और कोलकाता में मौजूदा सीएफएसएल का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ii) फोरेंसिक विज्ञान के नए विषयों जैसे कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, डिजिटल फोरेंसिक, डीएनए फोरेंसिक विश्लेषण, फोरेंसिक मनोविज्ञान आदि समेत केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मशीनरी और उपकरणों का उन्नयन किया गया है।

(iii) चंडीगढ़ में स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण और अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित की गई है।

(iv) डिजिटल धोखाधड़ी/साइबर फोरेंसिक के महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 126.84 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 06 अतिरिक्त एनसीएफएल को सीएफएसएल चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, कामरूप, भोपाल और पुणे में स्थापित करने की मंजूरी दी है।

(v) देश में 117 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (केंद्रीय और राज्य) को जोड़ने वाले ई-फोरेंसिक आई.टी. प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है।

(vi) राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (राज्य एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सभी परियोजनाओं (30) हेतु 245.29 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अब तक 185.28 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(vii) भारत सरकार ने सांबा, जम्मू में आठवें सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत 860.3 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश में 07 अतिरिक्त सीएफएसएल की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

(viii) फोरेंसिक विज्ञान में जनशक्ति के क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए डीएनए साक्ष्य के संग्रह, भंडारण और हैंडलिंग तथा यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 32,524 जांच अधिकारियों, अभियोजकों और चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18020 यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट भी वितरित किए हैं।

(ix) इसके अलावा, वर्ष 2022 मे "फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण" योजना का 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदन किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं को विकसित करने, मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण मोबाइल फोरेंसिक वैन सहित, तथा देश में फोरेंसिक विज्ञान हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता उपलब्ध है। इस योजना में अब तक, 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन" के घटक हेतु 200 करोड़ रुपए अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत अब तक 433 मोबाइल फोरेंसिक वैन की खरीद के लिए 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(x) गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में एनएफएसयू के प्रारंभिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में एनएफएसयू के 05 अतिरिक्त ऑफ परिसरों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। ये अतिरिक्त परिसर स्थायी परिसरों के निर्माण तक वर्तमान में अस्थाई परिसरों से क्रियान्वित हैं। इसके अलावा,

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2625

एनएफएसयू ने इम्फाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण/कौशल अकादमियां भी स्थापित की हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 19.06.2024 को "राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" को मंजूरी दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 1309.13 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-2029 तक एनएफएसयू के 09 अतिरिक्त परिसरों की स्थापना का घटक शामिल है । इन 9 परिसरों को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भूमि की उपलब्धता/व्यवहार्यता के अधीन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(xi) फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

- एनएबीएल मानदंडों (आईएसओ 17025) के अनुसार प्रयोगशालाओं के प्रमाणन हेतु गुणवत्ता मैनुअल और फोरेंसिक विज्ञान के नौ विषयों में कार्य पद्धति मैनुअल।
- जांच अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के प्रयोजनार्थ यौन हमले के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण, रख-रखाव और उन्हें लाने-ले जाने हेतु ।
- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना / स्तरोन्नयन के लिए उपकरण की मानक सूची।

(xii) नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन के साथ, जो 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश और वृद्धि अनिवार्य है। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी को दूर करने, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस भार/ लंबित मामलों को कम करने हेतु आवश्यक है।

****

दिनांक 18.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 2625

अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की न्यायालयिक प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य एफएसएल की संख्या	क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	1	0
2	आंध्र प्रदेश	1	5
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0
4	असम	1	5
5	बिहार	1	2
6	छत्तीसगढ़	1	3
7	दिल्ली	1	1
8	गुजरात	1	7
9	गोवा	1	0
10	हरियाणा	1	4
11	हिमाचल प्रदेश	1	2
12	झारखंड	1	0
13	जम्मू और कश्मीर	1	1
14	केरल	1	3
15	कर्नाटक	1	7
16	पश्चिम बंगाल	1	2
17	मध्य प्रदेश	1	4
18	महाराष्ट्र	1	12
19	मणिपुर	1	0
20	मेघालय	1	0
21	मिजोरम	1	0
22	नागालैंड	1	0
23	ओडिशा	1	3
24	पुडुचेरी	1	0
25	पंजाब	1	3
26	राजस्थान	1	6
27	सिक्किम	1	0
28	तमिलनाडु	1	10
29	तेलंगाना	1	4
30	त्रिपुरा	1	0
31	उत्तर प्रदेश	1	12
32	उत्तराखंड	1	1
	कुल	32	97

(स्रोत: न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)